न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 51/2008 रेफरेंस प्रार्थना–पत्र

रामचन्द्र पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रामबाग तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर
प्रार्थी

बनाम

1.सुलतानाराम मुत्र चेतनराम जाति मेघवाल (हरिजन) निवासी गोलूवाला सिहाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), लूनकरणसर

अप्रार्थी

:: रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955

1– श्री बच्छराज कोठारी अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री गिरधारीलाल रामावत अधिवक्ता अप्रार्थी

3– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

आदेश दिनांक 24.02.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 1 पीलीबंगा का मूल निवासी है। कभी भी रणजीतपुरा या शेरपुरा तहसील लूणकरणसर में नहीं रहा है। ना ही इन ग्रामो के मतदाता सूची में नाम है। ना ही राशनकार्ड बना हुआ है। अप्रार्थी ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी को धोखे में रखकर कपट से तथ्यो को छुपाकर शेरपुरा का मूल निवासी बताते हुए ग्राम रणजीतपुरा के खसरा नं. 38 में 50 बीघा भूमिहीन काश्तकार के रूप में गैर खातेदारी आवंटन करवा ली। अप्रार्थी के खाते में चक 22एलएलडबल्यू गोलूवाला तहसील पीलीबंगा में 2.783 हैक्टयेर नहरी भूमि हिस्से में आती है। अतः आवंटन आदेश 26.9.70 इंतकाल नं. 58 दिनांक 09.06.71 तहसीलदार, लूणकरणसर तथा शुद्धि आदेश उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर दिनांक 20.05.76 जिसकी पालना में दर्ज इंतकाल सं. 175 दिनांक 8.10.76 निरस्त कर भूमि अराजीराज दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने का निवेदन किया गया ।

जिला कलक्टर, बीकानेर

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई।

3. वकील अप्रार्थी के निरन्तर हाजिर नहीं आने के कारण वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया अप्रार्थी सं. 1 पीलीबंगा का मूल निवासी है। कभी भी रणजीतपुरा या शेरपुरा तहसील लूणकरणसर में नहीं रहा है। ना ही इन ग्रामो के मतदाता सूची में नाम है। ना ही राशनकार्ड बना हुआ है। अप्रार्थी ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी को धोखे में रखकर कपट से तथ्यो को छुपाकर शेरपुरा का मूल निवासी बताते हुए ग्राम रणजीतपुरा के खसरा नं. 38 में 50 बीघा भूमिहीन काश्तकार के रूप में गैर खातेदारी आवंटन करवा ली। अप्रार्थी के खाते में चक 22एलएलडबल्यू गोलूवाला तहसील पीलीबंगा में 2.783 हैक्टयेर नहरी भूमि हिस्से में आती है। अप्रार्थी नं. 1 को सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन नहीं किया गया। ना ही कब्जा दिया गया। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा खसरा नं. 38 मिन की जगह खसरा नं. 338/46 मिन तादादी 18 बीघा शुद्धि आदेश दिनाक 20.05.76 को 6 साल बाद किया गया जो क्षेत्राधिकार से बाहर व नलिटी एवं एबएनिशियो वायड होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः आवंटन आदेश 26.9.70 इंतकाल नं. 58 दिनांक 09.06.71 तहसीलदार, लूणकरणसर तथा शुद्धि आदेश उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर दिनांक 20.05.76 जिसकी पालना में दर्ज इंतकाल सं. 175 दिनांक 8.10.76 निरस्त कर भूमि अराजीराज दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस किया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर

5. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने तहसीलदार, लूणकरणसर की रिपोर्ट सं. 84 दिनांक 21.01.2010 के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सुल्तानाराम मूल रूप से गोलूवाला का निवासी है, शेरपुरा का निवासी नहीं है। तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया है। चक रणजीतपुरा के इंतकाल सं. 58 दिनांक 09.06.71 के द्वारा खसरा नं. 38 में 50 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज हुई है। बाद में इंतकाल सं. 175 दिनांक 08.01.76 खसरा शुद्धि द्वारा खसर नं0 338/46 में 18 बीघा दर्ज हुआ। शेष खसरा नं. 335/38 में 32 बीघा रकबा बदस्तुतर रहा तथा इंतकाल सं. 320 दिनांक 14.02.83 द्वारा खसरा नं. 40 मिन में 4 बीघा की खसरा शुद्धि दर्ज हुई। शेष खसरा नं. 338/46 में 14 बीघा व खसरा नं.335/38 में 32 बीघा बदस्तुर रहा।

जिला कलक्टर, बीकानेर

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी नं. 1 का खसरा नं. 38 मिन में 50 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना बताया गया है लेकिन उसका खसरा नं. 38 पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त होना साबित नहीं किया गया है। इस संबध में अप्रार्थी की ओर से कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। खसरा शुद्धि के नाम पर 38 मिन की 50 बीघा भूमि के बदले इंतकाल सं. 175 खसरा नं. 338/46 मिन में 18 बीघा भूमि अप्रार्थी नं. 1 के नाम दर्ज करने का उपखण्ड अधिकारी उत्तर, बीकानेर का शुद्धि आदेश दिनांक 20.05.76 क्षेत्राधिकार से बाहर होना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से इस बात की पुष्टि होती है कि अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन काश्तकार न होते हुए भी अपने को भूमिहीन काश्तकार बताकर कपट एवं मिथ्या प्रतिनिधित्व से 50 बीघा भूमि का आवंटन करवाया है। आवंटन नियम,1970 के प्रावधानो के अनुसार कृषि भूमि वही व्यक्ति आवंटित करवा सकता हैं जिस गांव की भूमि है तथा उसी गांव का भूमिहीन काश्तकार हो। प्रकरण में आवंटन नियम, 1970 कर उल्लंघन होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटित भूमि पुनः अराजीराज दर्ज करने के आदेश देने हेतु रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल को अग्रप्रेषित किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

7. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित करते हुए उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 17.04.2020 को उपस्थित होवें । तहसीलदार, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक के मार्फत माननीय राजस्व मंडल में रेफरेंस प्रस्तुत करे। तहसीलदार, लूणकरणसर स्टेट की ओर से प्रभावी पैरवी करे।

8. आदेश आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर